सेवा में

1. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
2. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: एम0पी-1/2/2022/3796
दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

विषय:- रबी तथा खरीफ वर्ष 2022-23 की फसलों के लिए परिवहन कार्यो हेतू (ई-टैण्डरिंग के माध्यम से) परिवहन ठेकेदारो की नियुक्ति करने बारे पोलिसी।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

1. रबी तथा खरीफ वर्ष 2021-22 की फसलों की हैण्डलिंग के लिए नियुक्त किये गये परिवहन ठेकेदारों की कार्यावधि दिनांक 31.3.2022 को समाप्त होने जा रही है। हरियाणा राज्य की सभी मण्डियों में वर्ष 2022-23 में रबी तथा खरीफ की फसलों के परिवहन के लिए नये सिरे सें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने की कार्यवाही शीघ्र की जानी है। इस सन्दर्भ में जिला स्तर पर भी खुला प्रचार किया जाना आवश्यक है। अत: आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर खुला प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों में, सभी सम्बन्धित कार्योलयो जैसे कि सभी खरीद एजैन्सीयों, मार्किट कमेटी, नगर पालिका, पंचायत घरों व खरीद केन्द्रों आदि के नोटिस बोर्डो पर टैण्डर नोटिस को चस्पा कर करें। जिलावार टैण्डर आमत्रिंत करने के लिए टैण्डर नोटिस की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है। खरीद किए गए खाद्यान्नों जिनका भण्डारण **8 किलोमीटर** से अधिक क्षेत्र में किया जाएगा, उसका परिवहन कार्य परिवहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। गेहूं की मण्डी से भारतीय खाद्य निगम को सीधी डिलीवरी के लिए unloading का कार्य FCI द्वारा किया जाएगा।

2. विषयाधीन टैण्डर के माध्यम से नियुक्त किये गये परिवहन ठेकेदारों द्वारा खरीद किये गये खाद्यान्नों के **8 किलोमीटर** के दायरे से बाहर स्थित भण्डारण/प्रेषण हेतु परिवहन कार्य परिवहन ठेकेदारों द्वारा किया जाना है, जिसके उठान हेतु पर्याप्त लेबर श्रम व ढुलाई ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। खाद्यान्नों को मण्डी स्थल से **8किलोमीटर** तक के दायरे में स्थित भण्डारण स्थलों तक पहुंचाने हेतु परिवहन कार्य श्रम व ढुलाई ठेकेदार द्वारा किया जाएगा जिनके लिए अलग से टैण्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं।

3. पूर्व वर्षो की तरह परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तियों के लिए जिला मुख्यालय पर टैण्डर आमत्रिंत करने तथा इनके अन्तीकरण के लिए जिला टैण्डर कमेटीयों का गठन निम्न प्रकार से किया गया है तथा कमेटी का कार्य टैण्डर की शर्तो मे व्याखित किया हुआ है :-

क0	पदनाम	पद
1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक या उन द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
3	उप मण्डल अधिकारी (ना0), जिला मुख्यालय	सदस्य
4	जिला खाद्य एंव पूर्ति नियंत्रक,	सदस्य सचिव
5	भारतीय खाद्य निगम सहित राज्य की सभी खरीद एजैन्सीयों के जिला प्रबन्धक	सदस्य

1/4

4. वर्ष 2022-23 की रबी तथा खरीफ की फसलों के परिवहन कार्यो के बेसिक दरो (S.O.R.) का विवरण साथ सलंग्न है, इसलिए टैण्डरदाताओ द्वारा इन बेसिक दरों पर अपने टैण्डर में परिवहन कार्यो के दर quote किये जाने है। **वर्ष 2021-22 में 100000 लाख एम.टी से अधिक आवक वाली 6 बड़ी मण्डियों(फतेहाबाद, बरवाला, कैथल, करनाल, ऐलनाबाद व सिरसा) में, L-1, L-2 व L-3 तीनो से negotiation की जाएगी व न्यूनतम दर पर तीनो से एक साथ कार्य करवाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 50000 एम.टी से अधिक तथा 100000 लाख एम.टी से कम आवक वाली 37 मण्डियों (सूची सलंग्न) मे L-1 व L-2 से negotiation की जाएगी तथा न्यूनतम दरों पर दोनो से एक साथ कार्य करवाया जा सकेगा ताकि उठान कार्य सूचारू रूप से चलाया जा सके। अन्य मण्डियों में पूर्व वर्षो की तरह वर्ष 2021-22 के लिए भी टैण्डर कमेटी सबसे कम दर देने वाले से ही negotitation करेंगे। परन्तु यदि उसके दर reasonable/competitive/workable न हो तो टैण्डर कमेटी टैण्डर की शर्तो अनुसार कार्यवाही करें।**

5. वर्ष 2022-23 के लिए नियुक्त किये जाने वाले परिवहन ठेकेदारो की नियुक्तियों बारे टैण्डर की शर्ते एवं बेसिक दरें साथ सलंग्न की जा रही हैं। टैण्डर की शर्तो मे उक्त व्याखित तथ्यों के ईलावा अन्य तथ्य, जिन के अनुसार टैण्डर आमंत्रण तथा इनका अन्तीकरण किया जाना है, विस्तृत रूप से व्याखित किये गये है। अत: टैण्डर कमेटी ''टैण्डर आमंत्रण एवं उन का अन्तीकरण'' टैण्डर की शर्तो अनुसार करने की कार्यवाही करें जोकि टैण्डर प्रक्रिया का ही भाग होगा। सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक/राज्य की खरीद एजैन्सियों के जिला प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करें कि ठेकेदारो से टैण्डर की शर्तो अनुसार ''इकरारनामा''(on proper stamp paper) किया गया है तथा उन द्वारा हस्ताक्षारित (प्रत्येक पृष्ठ) टैण्डर की शर्ते, इकरारनामें के साथ रखी गई है।

6. वर्ष 2022-23 में परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए कुछ pre-qualification conditions निर्धारित की गई है जो की संलग्न "Terms and Conditions" में उल्लेखित की गई है।

7. वर्ष 2022-23 के दौरान खरीद की गई फसलों को मण्डी से ट्रको में लदाई करके गोदामो/राईस मिल में भण्डारण से पूर्व प्रत्येक ट्रक की तुलाई सम्बन्धित जिला उपायुक्त द्वारा स्वीकृत उचित धर्मकांटे पर करवानी आवश्यक होगी। खरीद की गई फसल के तोल की समानता व सहीपन की सुनिश्चितता के लिए जिला नियन्त्रकों को अधिकृत किया जाता है कि वे धर्मकाटों की सूची मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा सम्बन्धित निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान से प्राप्त करें व list पर सम्बन्धित उपायुक्त की prior approval लेकर स्वीकृतियां जारी करें जिन पर खरीद की गयी गेहूं की तुलवाई करवाई जानी है।

8. रबी तथा खरीफ खरीद सीजन 2022-23 के दौरान फसल की खरीद के 24 घण्टे के अंदर आढती को फसल का उठान के लिए ऑफर करना है।

9. यदि परिवहन ठेकेदार, समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे तो उन पर पैनेल्टी लगाई जाएगी। यदि परिवहन ठेकेदार 3 घण्टे की समय सीमा में ट्रक उपलब्ध

2/4

नहीं करवाएगा तो उस पर पैनेल्टी लगेगी। यह सारी प्रक्रिया ई-खरीद पोर्टल पर रिकार्ड की जाएगी।

10. वर्ष 2022-23 हेतु परिवहन दरों की स्वीकृतियों को जारी करने के लिए पृष्ठाकंन क्रमांक एस.ओ.एम.पी.-1-2006/5739 दिनांक 31.3.2006 द्वारा सभी उपायुक्तों को निम्न शक्तियां delegate की हुई हैः-

Sr. No. of Appendix-I (Part-A) of PR A/cs Mannual Part-I	Nature of powers	To whom delegated	Extent
9	To sanction proforma of mandi charges	Deputy Commissioner of the concerned District/ Additional Director/Joint Director/Deputy Director Food Civil Supplies & Consumers Affairs	Full powers subject to the following conditions:- (i) The rates are settled by inviting tender by the Tender Committee as per policy on the subject. (ii) The rates are competitive and reasonable.
25	To sanction transport charges in respect of foodgrains pulses, mustard, bajra, coarsegrains and other articles transferred from one place to another and approval of contracts with the transport companies regarding the rates from road transport.	Deputy Commissioner of the concerned District/ Additional Director/Joint Director/Deputy Director Food Civil Supplies & Consumers Affairs	Full powers subject to the following conditions:- (i) The rates are settled by inviting tenders by the Tender Committee as per policy on the subject. (ii) The rates are competitive and reasonable. (iii) The payment is made on per quintal per kilometer basis.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार केन्द्रवार परिवहन दरों की स्वीकृतियां सम्बन्धित जिला उपायुक्त के अनुमोदन उपरान्त जारी करने हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें और तत्पश्चात् मुख्यालय को इस स्वीकृति की प्रति/आवश्यक सुझाव (यदि कोई हों) भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृप्या इसे परम अग्रता प्रदान करें।

7/3/22

उप निदेशक

कृतेः महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांकः एम0पी-1/2/2022/3797 दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति **जैनेरल मैनेजर भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रिय कार्यालय पंचकुला प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कॉनफैड, हैफेड, हरियाणा एग्रो ईण्डस्ट्रिज़. तथा मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला** को

3/4

Government of Haryana/हरियाणा सरकार

Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वर्ष 2022-23 की खरीफ की फसलों की परिवहन के लिए परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तियों के लिये तैयार की गई टैण्डर की शर्ते तथा इकरारनामे व टैण्डर नोटिस के प्रारूप की प्रति भी साथ संलग्न की जाती है।

उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: एम0पी-1/2/2022/3798 दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति मण्डल आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल, फरीदाबाद एवं गुड़गांव को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: एम0पी-1/2/2022/3799 दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. The State Informatics Officer, National Informatics Center, New Secretariat Haryana, Chandigarh.
2. Technical Director, NIC with the request to issue necessary directions to all the DIOs for smooth processing of online E-tenders in all the districts.

उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: एम0पी-1/2/2022/3800 दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं पूर्ति निदेशक (खाद्य) के सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ पी.एस/माननीय उप मुख्य मंत्री एंवम खाद्य एवं पूर्ति मंत्री।
2. सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

Terms and Conditions of Transportation E-Tenders Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department Haryana.

------

1. Contractor/Tenderer should not have been blacklisted by any of the Department/Semi Government Organisation of the State Government and by FCI, and not connected to any firm which has been so blacklisted.
2. Submission of the e-Tender documents: The tenderer shall have to deposit an amount of Rs. 1000/-plus 18% GST i.e. totalling Rs. 1180/- e-tender fees which is non-refundable.
3. The tender shall start on ________ at 5:00 PM and close on ________ at 5:00PM.
4. Opening of e-Tender: Technical bids shall be opened on ________ at 2:00 PM and the financial bids of the tenderers who qualify in the Technical Bids be opened on ________ at 04:00PM. These Bids shall be opened at respective district offices in the presence of the tenderers who may be present.
5. Tenderers should submit both the tender bids i.e. "Technical Bid" and "Financial Bid" only in Electronic form (Refer Tender documents). Financial Bid Proposal shall be submitted mandatorily online under commercial envelope and original not to be submitted manually). Financial Bid will be opened only after complete evaluation of Technical Bid.
6. Each Technical Bid must be accompanied by an earnest money i.e. 5% of the total cost of contract of previous year, of mandi for which tender is to be submitted through RTGS as per bank details given below:-

Name of beneficiary	District Food & Supplies Controller
Account No.	
Name of Bank	
IFSC Code	

7. Tender form not accompanied with the requisite amount of earnest money will be outrightly rejected. The amount of earnest money of the unsuccessful tenderers will be refunded within 5 working days from the date of tender except that of L2 & L3 whose EMD will be refunded within 15 working days from the date of finalization by the tender.
8. The following documents are required with Technical bid:-
   i) Certified copy of Partnership Deed/Registration of Firm.
   ii) Bank statement for last six months showing turnover at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.
   iii) Letter from bank regarding credit limits enjoyed by the tenderer which should be at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.
   iv) Solvency certificate issued by the banker.

1/8

v) Duly audited Balance Sheet/Profit & Loss account of the preceding 3 financial years.

vi) Statement of Assets with valuation certificate from valuator along with documentary proof of immovable property other than residential house, which may not be less than 10% of the cost of contract value.

vii) Proof of physical availability of at least 30% trucks (as applicable) with registration in the name of tenderer firm and partners of the firm submitting the tender and for balance he/she may have agreement with any transport company/truck owners **with the remarks that if a firm falls short of physical availability of 30 % owned trucks, it will have to deposit an additional security@ Rs 60,000/- per trucks of short no of ownership of trucks after having agreement with an transport company/truck owners. The additional security so deposited will be refundable after completion of lifting of food grains from mandi to storage points.** If any firm comes L-1 in more than one tender, it will be considered for one tender only on the basis of that 30% availability of trucks details list, but if it applied with another list of 30% details (the registration number of the trucks must be different) in continuation for another mandi where it is L-1, same will be accepted for the allotment of the second tender and so on. Otherwise L-2 will be offered to work at L-1 rates. If L-2 doesn't agree, then L-3,L-4,L-5 and so on will be offered to work at L-1 rates. The same will be applicable for all the tenderers. The requirements of trucks are as under:-

Class of Mandi	Arrival/Procurement	No. of Trucks required
A	Upto 10000 MT	10
B	From 10001 MT to 20000 MT	20
C	From 20001 MT to 40000 MT	30
D	From 40001 MT and above.	40

Note:-1) Price bid will be opened only if the tenderer qualifies in the technical bid.

Note:-2) Previous/Projected Procurement figures of Rabi & Kharif crops may be taken from the office of the DFSC/DM concerned of the agency in District.

9. Conditional tenders will not be entertained and shall summarily be rejected by the Distt. Tender Committee.

10. **The Distt. Tender Committee reserves the right to negotiate with the valid three lowest tenderers (L-1, L-2 and L-3) and finalize three transport agencies in a few selected mandies where the arrival is more than 100000 MT** (Fatehabad, Barwala, Kaithal New, Karnal, Ellenabad & Sirsa) **where all the selected agencies can work simultaneously at the lowest negotiated rates. In case of mandies where the arrival is more than 50000 MT and less than**

3/6